

न्यूज बीफ

पूर्व सीएम के बेटे की याचिका पर सुनवाई आज

बिलासपुर | प्रदेश के चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, इसमें अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। याचिका पर मंगलवार को जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए उचित मंच पर जाने को कहा था। फिलहाल वे रिमांड पर हैं। चैतन्य ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है।